



अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार २४६४०४
(नैक से "A" ग्रेड प्राप्त एवं यू.जी.सी. एक्ट १९५६ के सेक्शन ३ के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

SHCEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES CELL
GURUKUL KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY), HARIDWAR-249 404
(NAAC "A" Grade Accredited Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

दिनांक 13-10-2020

पत्रांक- GKV/SCT/
सेवा में

संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान/विज्ञान/मानविकी/प्राच्यविद्या/प्रौद्योगिकी/अभि. एव प्रौद्यो.
/आयुर्वेद एवं आयुर्विज्ञान/स्वास्थ्य विज्ञान/प्रबन्ध अध्ययन/शिक्षा/कोर्डिनेटर क. गु.
परिसर, हरिद्वार/देहरादून

विषय:- नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं
द्वारा आवेदन कराना।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु सत्र 2020-21 के लिये ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें। आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.10.2020 है। इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग वर्ग, भारतीय सेना में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित, अनुसूचित जनजाति, जिन राज्यों के विद्यार्थियों को कहीं अन्य स्थान से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है (जैसे कि उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग) आदि सभी छात्र/छात्रायें आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ एक प्रति संकाय कार्यालय में, एक प्रति में तथा एक प्रति विद्यार्थी को दी जायेगी जिसे वह सम्बन्धित नोडल अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को संकायाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कराकर स्वयं भेजेगा। आवेदन छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं www.scholarships.gov.in पर सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत करना होगा। यदि आवेदन करने की अन्तिम तिथि में कोई परिवर्तन होता है अथवा अन्य किसी भी जानकारी के लिये समय-समय पर भारत सरकार की बेवसाइट www.scholarships.gov.in का अवलोकन करने का कष्ट करें। उत्तराखण्ड राज्य के मूलनिवासी सभी छात्र/छात्रायें जो कि अल्पसंख्यक श्रेणी में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं वह सभी विद्यार्थी केवल अल्पसंख्यक कल्याण मन्त्रालय द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु ही आवेदन करेंगे यदि वह छात्र उत्तराखण्ड राज्य द्वारा दी जाने वाली



Shot on OnePlus

By OnePlus 8T Pro





अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार २४६४०४
(नैक से "A" ग्रेड प्राप्त एवं यू.जी.सी. एक्ट 1956 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

SHCEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES CELL
GURUKUL KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY), HARIDWAR-249 404
(NAAC "A" Grade Accredited Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक- GKV/SCT/

दिनांक...13-10-2020

स्कीम में आवेदन करेंगे तो उनके आवेदन पत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ द्वारा अग्रसारित नहीं किये जायेंगे।


13/10/2020
उपकुलसचिव
SC-ST Cell

13/10/2020

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति जी, सूचनार्थ
2. कुलसचिव
3. सम्पर्क अधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ



Shot on OnePlus
By One Plus 8T Pro